

**Capacity Building Programme for Police Officers
on
Prevention of Counterfeiting and Smuggling**

Focus State: Chhattisgarh

Date: 11th January 2023
Netaji Subhash Chandra Bose State Police Academy, Raipur

Swadesh

उपभोक्ताओं को तस्करी और जालसाजी से बचाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरुकता जरूरी

तस्करी, जालसाजी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या : रतन लाल डांगी

स्वदेश संवाददाता, रावपुर

रतन लाल डांगी, डायरेक्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने कहा, "कानून प्रवर्तन की प्राथमिक इकाई के रूप में पुलिस कानूनों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है, और राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए लगातार काम करती है।" तस्करी और जालसाजी न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

फिक्की की कमिटी अगेंस्ट स्मग्लिंग एंड काउंटरफैटिंग एक्टिविटीज डेस्ट्रॉयिंग द इकॉनॉमी (कास्केड) द्वारा आयोजित 'कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ काउंटरफैटिंग एंड स्मग्लिंग' में बोलते हुए डॉ. डांगी ने बताया कि स्मग्लिंग और जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि जालसाजी और तस्करी के खतरे से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच



जागरुकता का होना जरूरी है। जालसाजी और तस्करी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में श्री दीप चंद, एडवाइजर, फिक्की कास्केड और पूर्व विशेष पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली ने कहा, "ग्रे मार्केट गैरकानूनी उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, जिस वजह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को तस्करी किए गए और नकली उत्पादों के गंभीर प्रभाव के बारे में जागरुक बनाना है। उन्होंने कहा कि फिक्की कास्केड की हालिया रिपोर्ट, "गैरकानूनी बाजार:

हमारे राष्ट्रीय हितों को खतरा" के मुताबिक पाँच प्रमुख उद्योगों (मोबाइल फोन, एफएमसीजी-हाउसहोल्ड एवं पर्सनल गुड्स, एफएमसीजी- पैकेज्ड फूड्स, तम्बाकू उत्पाद और एल्कोहलिक बेवरेजेस) में गैरकानूनी व्यापार के कारण वैध रोजगार को अनुमानित 15.96 लाख का नुकसान होता है। इन उद्योगों में नकली उत्पादों के कारण सरकारी खजाने को अनुमानित 58,521 करोड़ रु. के टैक्स का नुकसान होता है, जिसमें दो अत्यधिक रेगुलेटेड और टैक्स वाले उद्योगों, तम्बाकू उत्पाद

एवं एल्कोहलिक बेवरेज में कुल मिलकर लगभग 49 प्रतिशत टैक्स का नुकसान होता है।

कर्नल अतुल यादव, जनरल मैनेजर - नॉर्थ, इंडस्ट्री अफेयर्स, आईटीसी लिमिटेड ने कहा, "बाजार में तस्करी और जालसाजी जैसी गैरकानूनी गतिविधियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं, और खराब गुणवत्ता के नकली एवं तस्करी किए गए उत्पाद गंदी जगहों पर गुणवत्ता के मानकों का पालन किए बगैर बनाए जा रहे हैं, और गैरकानूनी रूप से बेचे जा रहे हैं, जिससे काला धन बढ़ता जा रहा है।" उन्होंने बताया कि तस्करी बेतहाशा रूप से बढ़ने का मुख्य कारण ऊँचा टैक्स है, जिसके कारण गैरकानूनी गतिविधियाँ करने के लिए काफी ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। देश में तस्करी का विस्तार बहुत ज्यादा चिंताजनक है। यद्यपि भारत में तस्करी की बढ़ती समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुपालन और प्रक्रियाओं को और ज्यादा मजबूत बनाए जाने की जरूरत है, ताकि इस तरह के अपराध ज्यादा आसानी से सामने आ सकें।"

Aaj ka Alaap

तस्करी, जालसाजी पूरे विश्व के लिए गंभीर समस्या : रतनलाल डांगी

■ उपभोक्ताओं को तस्करी और जालसाजी से बचाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरूकता का होना जरूरी

आलाप न्यूज

रायपुर । रतन लाल डांगी, डायरेक्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने कहा, कानून प्रवर्तन की प्राथमिक इकाई के रूप में पुलिस कानूनों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है, और राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए लगातार काम



करती है। तस्कर और जालसाज न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

फिक्की की कमिटी अगेंस्ट स्मग्लिंग एंड काउंटरफोर्टिंग एक्टिविटीज डेस्ट्रॉयिंग द इकॉनॉमी (फास्केड) द्वारा आयोजित 'केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर्स

ऑन प्रिवेंशन ऑफ काउंटरफोर्टिंग एंड स्मग्लिंग' में बोल्ते हुए डॉ. डांगी ने बताया कि स्मग्लिंग और जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है।

उन्होंने कहा कि जालसाजी और तस्करी के खतरे से उपभोक्ताओं को रक्षा करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरूकता का होना जरूरी है।

जालसाजी और तस्करी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में श्री दीप चंद्र, एडवोकेट, फिक्की कास्केड और पूर्व विशेष पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली ने कहा, ग्रे मार्केट गैरकानूनी उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, जिस वजह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को तस्करी किए

गए और नकली उत्पादों के गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूक बनाना है।

उन्होंने कहा कि फिक्की कास्केड की हालिया रिपोर्ट, 'गैरकानूनी बाजार: हमारे राष्ट्रीय हितों को खतरा' के मुताबिक पाँच प्रमुख उद्योगों (मोबाइल फोन, एफएमसीजी- हाउसहोल्ड एवं पर्सनल गुड्स, एफएमसीजी- पैकेज्ड फूड्स, तम्बाकू उत्पाद और एल्कोहॉलिक बेवरेजेस) में गैरकानूनी व्यापार के कारण वैध रोजगार को अनुमानित 15.96 लाख का नुकसान होता है।

Amrit Sandesh

तस्करी, जालसाजी न केवल भारत, बल्कि
पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है



रायपुर, (असं)। रतन लाल डांगी, डायरेक्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने कहा, “कानून प्रवर्तन की प्राथमिक इकाई के रूप में पुलिस कानूनों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है, और राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए लगातार काम करती है।” तस्कर और जालसाज न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। फिक्की की कमिटी अगेंस्ट स्मग्लिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज डेस्ट्रॉयिंग द इकॉनॉमी (कास्केड) द्वारा आयोजित ‘कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ काउंटरफीटिंग एंड स्मग्लिंग’ में बोलते हुए डॉ. डांगी ने बताया कि स्मग्लिंग और जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि जालसाजी और तस्करी के खतरे से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरुकता का होना जरूरी है।

डायरेक्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी, छत्तीसगढ़

तस्करी, जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है

रायपुर, 13 जनवरी, 2023: श्री रतन लाल डांगी, डायरेक्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने कहा, ह्यह्यकानून प्रवर्तन की प्राथमिक इकाई के रूप में पुलिस कानूनों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है, और राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए लगातार काम करती है। तस्कर और जालसाज न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

फिक्की की कमिटी अगेंस्ट स्मग्लिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज डेस्ट्रॉयिंग द इकॉनॉमी (कास्केड) द्वारा आयोजित ह्यकैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ काउंटरफीटिंग एंड स्मग्लिंग में

बोलते हुए डॉ. डांगी ने बताया कि स्मग्लिंग और जालसाजी न केवल भारत,



बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि जालसाजी और तस्करी के खतरे से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरुकता का होना जरूरी है।

जालसाजी और तस्करी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में श्री दीप चंद, एडवाइजर, फिक्की कास्केड

और पूर्व विशेष पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली ने कहा, ह्यह्यग्रे मार्केट गैरकानूनी उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, जिस वजह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को तस्करी किए गए और नकली उत्पादों के गंभीर प्रभाव के बारे में जागरुक बनाना है।

उन्होंने कहा कि फिक्की कास्केड की हालिया रिपोर्ट, ह्यह्यगैरकानूनी बाजार: हमारे राष्ट्रीय हितों को खतराहल्ल के मुताबिक पाँच प्रमुख उद्योगों में गैरकानूनी व्यापार के कारण वैध रोजगार को अनुमानित 15.96 लाख का नुकसान होता है। इन उद्योगों में नकली उत्पादों के कारण सरकारी खजाने को अनुमानित 58,521 करोड़ रु. के टैक्स का नुकसान होता है।

तस्करी और जालसाजी भारत के साथ विश्व के लिए एक गंभीर समस्या

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

स्टेट पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर रतनलाल डांगी ने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन की प्राथमिक इकाई के रूप में पुलिस कानूनों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है और राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए लगातार काम करती है। उन्होंने तस्करी और जालसाजों को देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व बताते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया।

फिक्की की कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज डेस्ट्रॉयिंग द इकॉनॉमी (कास्केड) द्वारा आयोजित 'कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ काउंटरफीटिंग एंड स्मगलिंग' में बोलते हुए श्री डांगी ने बताया कि तस्करी और जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक



गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि जालसाजी और तस्करी के खतरे से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरूकता का होना जरूरी है। फिक्की, कास्केड के एडवाइजर तथा दिल्ली के पूर्व विशेष आयुक्त दीपचंद ने कहा कि ग्रे मार्केट गैरकानूनी उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, जिस वजह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को तस्करी किए गए और नकली उत्पादों के गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूक बनाना है।

राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा

पूर्व पुलिस आयुक्त ने फिक्की कास्केड की हालिया रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गैरकानूनी बाजार हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा है। उन्होंने प्रमुख पांच उद्योगों मोबाइल फोन, एफएमसीजी- हाउसहोल्ड एवं पर्सनल गुड्स, एफएमसीजी- पैकेज्ड फूड्स, तंबाकू उत्पाद और एल्कोहलिक बेवरेजेस में गैरकानूनी व्यापार के कारण वैध रोजगार को अनुमानित 15.96 लाख का नुकसान होने की जानकारी दी। इन उद्योगों में नकली उत्पादों के कारण सरकारी खजाने को अनुमानित 58 हजार 521 करोड़ रुपये के टैक्स का नुकसान होता है, जिसमें दो अत्यधिक रेगुलेटेड और टैक्स वाले उद्योगों, तंबाकू उत्पाद एवं एल्कोहलिक बेवरेज में कुल मिलकर लगभग 49 प्रतिशत टैक्स का नुकसान होता है।

Kahi Ankahi

तस्करी, जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है

रायपुर, एजेंसी।

श्री रतन लाल झंगी, डायरेक्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने कहा, "कानून प्रवर्तन की प्राथमिक इकाई के रूप में पुलिस कानूनों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है, और राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए लगातार काम करती है।" तस्करी और जालसाजी न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

फिक्की की कमिटी अगेस्ट स्मॉलिंग एंड काउंटरफोर्टिंग एक्टिविटीज डेस्ट्रॉयिंग द इकॉनॉमी (कास्केड) द्वारा

आयोजित 'केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर्स ऑन डिपेंशन ऑफ काउंटरफोर्टिंग एंड स्मॉलिंग' में बोलते हुए डॉ. झंगी ने बताया कि स्मॉलिंग और जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि जालसाजी और तस्करी के खतरे से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरूकता का होना जरूरी है। जालसाजी और तस्करी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में श्री दीप चंद, एडवार्डर, फिक्की कास्केड और पूर्व विशेष पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली ने कहा, "शे मार्केट गैरकानूनी उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, जिस वजह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। इस



क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को तस्करी किए गए और नकली उत्पादों के गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूक बनाना है। उन्होंने कहा कि फिक्की कास्केड की हालिया रिपोर्ट, "गैरकानूनी बाजार: हमारे राष्ट्रीय हितों को खतरा" के मुताबिक पाँच प्रमुख उद्योगों (मोबाइल

फोन, एफएमसीजी- हाउसहोल्ड एवं पर्सनल गुड्स, एफएमसीजी- पैकेज्ड फूड्स, तम्बाकू उत्पाद और एल्कोहॉलिक बेवरेज) में गैरकानूनी व्यापार के कारण वैध रोजगार को अनुमानित 15.96 लाख का नुकसान होता है। इन उद्योगों में नकली उत्पादों के कारण सरकारी खजाने को अनुमानित

58,521 करोड़ रु. के टैक्स का नुकसान होता है, जिसमें दो अत्यधिक रेगुलेटेड और टैक्स वाले उद्योगों, तम्बाकू उत्पाद एवं एल्कोहॉलिक बेवरेज में कुल मिलकर लगभग 49 प्रतिशत टैक्स का नुकसान होता है।

कर्नल अतुल यादव, जनरल मैनेजर - नॉर्थ, इंडस्ट्री अपेक्स, आईटीसी लिमिटेड ने कहा, "बाजार में तस्करी और जालसाजी जैसी गैरकानूनी गतिविधियाँ धड़के से चल रही हैं, और खराब गुणवत्ता के नकली एवं तस्करी किए गए उत्पाद गंभीर जगहों पर गुणवत्ता के मानकों का पालन किए बिना आ रहे हैं, और गैरकानूनी रूप से बेचे जा रहे हैं, जिससे काला धन बढ़ता जा रहा है।"

Navbharat



तस्करी व जालसाजी पूरे विश्व के लिए गंभीर समस्या : डांगी

नवभारत ब्यूरो। रायपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी रायपुर के डायरेक्टर रतन लाल डांगी ने कहा है कि कानून प्रवर्तन की प्राथमिक इकाई के रूप में पुलिस कानूनों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है और राष्ट्र निर्माण व आर्थिक विकास के लिए लगातार काम करती है। उन्होंने कहा कि तस्कर और जालसाज न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। फिक्की की कमिटी 'कास्केड' द्वारा आयोजित 'कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम में बोलते हुए डॉ. डांगी ने बताया कि स्मगलिंग और जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है।

तस्करी, जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है



समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी, रायपुर के डायरेक्टर रतन लाल डांगी ने कहा कि कानून प्रवर्तन की प्राथमिक इकाई के रूप में पुलिस कानूनों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है, और राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए लगातार काम करती है।

तस्कर और जालसाज न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि

नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। पिछी की कमिटी अगेंस्ट स्मग्लिंग एंड काउंटरफ़ीटिंग एक्टिविटीज डेस्ट्रॉयिंग द इकॉनॉमी (कास्केड) द्वारा आयोजित 'कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ काउंटरफ़ीटिंग एंड स्मग्लिंग' में बोलते हुए डॉ. डांगी ने बताया कि स्मग्लिंग और जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। उन्होंने

कहा कि जालसाजी और तस्करी के खतरे से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरुकता का होना जरूरी है। जालसाजी और तस्करी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में श्री दीप चंद, एडवाइज़र, पिछी कास्केड और पूर्व विशेष पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली ने कहा, "ग्रे मार्केट गैरकानूनी उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, जिस वजह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं।

तस्करी, जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है: रतन डांगी

प्रतिदिन नेटवर्क, रायपुर

रतन लाल डांगी, डायरेक्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने कहा, "कानून प्रवर्तन की प्राथमिक इकाई के रूप में पुलिस कानूनों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है, और राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए लगातार काम करती है।" तस्कर और जालसाज न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

पिक्की की कमिटी अंग्रेस्ट स्मग्लिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज डेस्ट्रॉयिंग द इकॉनॉमी (कास्केड) द्वारा आयोजित 'कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ काउंटरफिटिंग एंड स्मग्लिंग' में बोलते हुए डॉ. डांगी ने बताया कि स्मग्लिंग और जालसाजी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि जालसाजी और तस्करी के खतरे से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरूकता का होना जरूरी है। जालसाजी और तस्करी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में श्री दीप चंद, एडवाइज़र, पिक्की कास्केड और



पूर्व विशेष पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली ने कहा, "ये मार्केट गैरकानूनी उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, जिस वजह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को तस्करी किए गए और नकली उत्पादों के गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूक बनाना है।

उन्होंने कहा कि पिक्की कास्केड की हालिया रिपोर्ट, "गैरकानूनी बाजार: हमारे राष्ट्रीय हितों को खतरा" के मुताबिक पाँच प्रमुख उद्योगों (मोबाइल फोन, एफएमसीजी-हाउसहोल्ड एवं पर्सनल गुड्स, एफएमसीजी- पैकेज्ड फूड्स, तम्बाकू उत्पाद और एल्कोहलिक बेवरेजेस) में गैरकानूनी व्यापार के कारण वैध रोजगार को अनुमानित 15.96 लाख का नुकसान

होता है। इन उद्योगों में नकली उत्पादों के कारण सरकारी खजाने को अनुमानित 58,521 करोड़ रु. के टैक्स का नुकसान होता है, जिसमें दो अत्यधिक रैगुलेटेड और टैक्स वाले उद्योगों, तम्बाकू उत्पाद एवं एल्कोहलिक बेवरेज में कुल मिलकर लगभग 49 प्रतिशत टैक्स का नुकसान होता है।

कर्नल अतुल यादव, जनरल मैनेजर - नॉर्थ, इंडस्ट्री अफेयर्स, आईटीसी लिमिटेड ने कहा, "बाजार में तस्करी और जालसाजी जैसी गैरकानूनी गतिविधियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं, और खराब गुणवत्ता के नकली एवं तस्करी किए गए उत्पाद गंदी जगहों पर गुणवत्ता के मानकों का पालन किए बगैर बनाए जा रहे हैं, और गैरकानूनी रूप से बेचे जा रहे हैं, जिससे

काला धन बढ़ता जा रहा है।" उन्होंने बताया कि तस्करी बेतहाशा रूप से बढ़ने का मुख्य कारण ऊँचा टैक्स है, जिसके कारण गैरकानूनी गतिविधियाँ करने के लिए काफी ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। देश में तस्करी का विस्तार बहुत ज्यादा चिंताजनक है। यद्यपि भारत में तस्करी की बढ़ती समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुपालन और प्रक्रियाओं को और ज्यादा मजबूत बनाए जाने की जरूरत है, ताकि इस तरह के अपराध ज्यादा आसानी से सामने आ सकें।"

मिस आशिता अगरवाल, पॉलिसी मैनेजर, पब्लिक पॉलिसी, एमेज़ॉन इंडिया ने कहा, "एमेज़ॉन ग्राहकों का विश्वास कम करने वाली धोखाधड़ी और बाजारों के दुरुपयोग को रोकने पर केंद्रित है। हमने अनेक अभियान शुरू किए हैं और अपने मार्केटप्लेस को ग्राहकों, ब्रांड्स एवं सैलर्स द्वारा विनियम करने का एक सुरक्षित व भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अपने संसाधनों को लगाया है।" उन्होंने कहा कि एमेज़ॉन ग्राहकों को सशक्त बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देने और उनमें भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वो डिजिटल युग के खतरों से सुरक्षित रहते हुए ऑनलाईन शॉपिंग का आनंद ले सकें।"